Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to include people belonging to 'Bhogta' community in the list of Scheduled Tribes-laid.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम में खरवार जनजाति की मुख्य उपजाति "भोगता समुदाय" बहुत बड़ी संख्या में निवास करती है। 10.08.1950 में भोगता को अलग जाति बनाकर अनुसूचित जातियों की श्रेणी में कम सं. 3 पर सूचीबद्ध किया गया । लगातार 70 वर्षों से अपनी मूल पहचान से वंचित भोगता समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता आ रहा है । भोगता समाज की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है ।

सामाजिक संगठन "खरवार भोगता समाज विकास संघ" के प्रयासों से खरवार जनजाति की उपजातियों में संशोधन के लिए विस्तृत अध्ययन के पश्चात झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची ने पत्रांक संख्या - 473 दिनांक 05.10.2004 द्वारा कल्याण विभाग, झारखंड सरकार को प्रेषित किया जिसे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, GOJ ने पत्रांक 2098, दिनांक 02.03.2012 के द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया ।

एनसीएसटी के अनुशंसा प.सं. 17/01 इन्क्लू जन/2014/आ.यू. -03, दिनांक 05.12.2014 के आलोक में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान (SC& ST) संशोधन विधेयक 2016, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 को लोक सभा में Introdued किया गया था ।

पुन: 17वीं लोक सभा के लिए (SC& ST) संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तावित है । प्रस्तावित विधेयक में खरवार की मुख्य उपजाति भोगता सहित सभी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये तथा सरकार जल्द से जल्द इन प्रस्तावित विधेयक को पारित करें ।